:: न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड सांवेर ::

राजस्व प्रकरण क्रमांक/44 /अ-2/ 9-2000

बंशी पिता केसरीयाजी,
निवासी:-राहूखेड़ी तेहसील सांवेर - - - - - - - - - - आवेदक

विरुध्द

म०प्रदेश शासन - - - - - - - - - - - - - - - - - अनावेदक

(पारित आदेश दिनांक 24 अगस्त 2000)
(म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत)

आवेदक श्री बंशी पिता केसरीयाजी निवासी ग्राम नालछा जिला-धार हाल मुकाम पिपल्या दिग्ठान साकिन राहूखेड़ी तहसील सांवेर की ओर से दिनांक 22.3.2000 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम राहूखेड़ी प०ह०नं० 26/2 तहसील सांवेर स्थित कृषि भूमि सर्वे नं० 67/2, ~~67/5 एवं 67/6~~ कुल रकबा 0.525 हेक्टर भूमि का कृषि आशय से व्यवसाय के प्रयोजन हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत व्यपवर्तन की अनुमति दी जाने की मांग की है।

चूंकि आवेदन कृषि भिन्न आशय मे आवेदित किया गया है। अतः प्रकरण पंजीबध्द कर जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्ना-नुसार है।

1) राजस्व अभिलेख खसरा पांच साला वर्ष 1997-98 एवं बी-1 किश्त बंदी खतौनी वर्ष 1998-99 के अनुसार प्रश्नाधीन कृषि भूमि आवेदक द्वारा जरिए रजिस्ट्री दि० 20.3.1998 को ऋण पुस्तिका क्रमांक 4-12320 के आधार पर सुनिल पिता नानूराम जी वर्मा निवासी लाड गली धार से आवेदक बन्सी पिता श्री केसरीयाजी निवासी ग्राम नालछा जिला धार ने क्रय की है। तद्अनुसार राजस्व अभिलेखों मे आवेदक का नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित किया गया जिसकी पुष्टि खसरा पांच साला व किश्त बंदी खतौनी के खाता क्रमांक 71 से होती है।

2) प्रश्नाधीन भूमि का कृषि से व्यावसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन के सम्बन्ध में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर एवं अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि इन्दौर से व्यपवर्तन के सम्बन्ध मे पन्द्रह दिवस मे अभिमत चाहा गया। तत्संम्बध मे अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा स्थल एवं अभिलेखों की जांच कर प्रश्नाधीन भूमि का व्यावसायिक प्रयोजन मे व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की एवं शासकीय आय बढ़ाने

....2

की दृष्टि से पुनः निर्धारण भू-राजस्व प्रस्तावित किया ।

3) आवेदक द्वारा एक शपथ-पत्र दिनांक 24.7.2000 को डायवर्शन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया । तदनुसार ग्राम राहूखेड़ी स्थित खसरा नं. 67/2 कुल रकबा 0.525 आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व का है । एवं प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में किसी - न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नही है । एवं प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत व्यपवर्तन की होने पर जो राशि भू-राजस्व एवं प्रिमियम के सम्बन्ध में निर्धारित होगी स्वीकार है । एवं - निर्धारित की जाने वाली शर्ते भी स्वीकार है । आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अभिलेख सत्य एवं सही है । एवं प्रश्नाधीन भूमि का निर्माण कार्य विधिवत् अनुज्ञा के बाद ही किया जावेगा ।

4) कार्यालय ग्राम पंचायत लहुडियापरमार तहसील सांवेर के द्वारा दिनांक 7.2.99 को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम राहूखेड़ी मे प्रार्थी श्री बंशीलाल पिता - केसरिया जाति भील निवासी नालछा जिला धार की निजी भूमि स्थित है । तथा भूमि खसरा नं0 67/2, 67/5, 67/6 का डायवर्शन कराना चाहते है । अतः डायवर्शन करवानें पर पंचायत को कोई आपत्ती नही है ।

5) न्यायालय अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि कलेक्टोरेट इन्दौर के पत्र क्रमांक/वयू/ दिनांक 28.7.2000 के द्वारा आवेदक द्वारा ग्राम राहूखेड़ी के खसरा नं0 67/2 रकबा 0.525 होकर भूमि मे कोई शासकीय भूमि सम्मिलित नही है । पटवारी नक्शे से मौके का मिलान होता है । उक्त स्थल पर निर्माण कार्य नही किया गया है । भूमि उक्त न्यायालय मे विवादित नही है व पुनः निर्धारण कार्य कायम किया जाना प्रस्तावित है ।

6) संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 25.7.2000 को प्राप्त होने के बाद कोई अभिमत प्राप्त नही हुआ है । जो पत्र प्रकरण मे संलग्न है ।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत् रखते हुए मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि चूंकि आवेदक भूमि स्वामी है व स्थानिय संस्था ग्रामपंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ मय शपथ पत्र के सशर्त डायवर्शन चाहा है । आवेदन स्वीकार करते हुए, शासकीय आय बढाने की दृष्टि से निम्नांकित शर्तों के साथ प्रश्नाधीन आवेदित भूमि ग्राम-राहूखेड़ी स्थित खसरा नं0 67/2 रकबा 0.525 हे0 कृषि भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु म0प्र0भू-राजस्व संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत व्यपवर्तन की अनुज्ञा दी जाती है ....

1) ग्राम राहूखेड़ी स्थित सर्वे नं0 67/2 रकबा 0.525 हे0 अर्थात 58192 वर्गफीट भूमि पर संहिता की धारा 59 उपधारा । के अन्तर्गत 4777/- रुपये वार्षिक दर से पुनः निर्धारण भू-राजस्व वर्ष 99-2000 से निर्धारित किया जाता है ।

..........2)

अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड ... जिला-इन्दौर (म.प्र.)

//3//

2) म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 की उपधारा 5 के नवीनतम - आदेशों के अनुसार प्रीमियम की राशि 7834/-रुपये निर्धारित की जाती है ।

3) व्यपवर्तित भूमि मुख्य मार्ग से लगी होने से व्यपवर्तित भूमि का अभिन्यास संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर से अनुमोदित कराना होगा ।

4) व्यपवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य की अनुज्ञा विधिवत् सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगी ।

5) व्यपवर्तित भूमि पर ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बाधा पहुँचती हो ।

6)

उपरोक्त निर्धारित राशि आदेश दिनांक से 15 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा । उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में आदेश निरस्त कर दिया जावेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 24.8.2000 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(आर. एस. अवस्थी) 24/8/2000

अनुविभागीय अधिकारी

उपखण्ड-सांवेर जिला-इन्दौर

अनुविभागीय अधिकारी
उपखण्ड सांवेर, जिला इन्दौर.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड-सांवेर * जिला-इन्दौर (म.प्र.) *